



भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालय: 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, डी.ब्लॉक नई दिल्ली - 110058
National Commission for Indian System of Medicine
Ministry of AYUSH, Govt. of India
Office: 61-65, Institutional Area, Janakpuri, D-Block, New Delhi - 110058

दूरभाष / Phone
अध्यक्ष / Chairman: 28525156
सचिव / Secretary: 28525847
कार्यालय / Office: 28525464
पंजीयन / Registration: 28522519
फैक्स / Fax: 28520878
www.ncismindia.org
secretary@ncismindia.org

क्रमांक/Ref. No. 30-5/2016-MP University.

दिनांक/Dated: 03.12.2021

To,

The Secretary to the Govt. of India
Ministry of Ayush,
Ayush Bhawan, B-Block,
GPO Complex, INA
New Delhi-110023

Sir,

Subject-Non-inclusion of more than 2500 undergraduate and Post Graduate Students of Ayurveda in the second schedule to IMCC Act, 1970/NCISM Act.-Reg.

With reference to your letter no. F.No.-L.14030/35/2021-EP (1) dated 26.10.2021 regarding non-inclusion of more than 2500 undergraduate students of Ayurveda, There are 19 colleges has affiliated by Madhya Pradesh health and science university , I am directed to inform you that on the response of NCISM letter university has submitted the documents, Now matter is under process.

(Dr. Raghurama Bhatta U.)
Secretary I/c
President, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine (NCISM)

Copy to:-

1. Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi-110058.
2. Dr. Akash Gupta, General Secretary Ayurveda Foundation of India, E5, First Floor, Lane No. 1, Westend Marg, Near Saket, Saidulajab, New Delhi.
3. Vaidhya Pallav kumar Prajapati ,President Central Student Committee, Secretary Ayurveda Foundation of India, E5, First Floor, Lane No. 1, Westend Marg, Near Saket, Saidulajab, New Delhi.
4. President,BoER,Gravience Officer, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi-110058.
5. Guard file

(Dr. Raghurama Bhatta U.)
Secretary I/c
President, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine (NCISM)

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
Ministry of Ayush

"आयुषभवन" / "AYUSH BHAWAN"
"बी" ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, 'B' Block, GPO Complex,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023, INA, New Delhi-110 023
दिनांक/Dated: .11.2021

सेवा में,
अध्यक्ष,
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग,
इंस्टीट्यूशनल एरिया, विपरीत डी-ब्लॉक,
जनकपुरी- 110 058, नई दिल्ली

विषय: आयुर्वेद के 2500 से अधिक स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों की उपाधियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद) की द्वितीय अनुसूची में शामिल न किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत अधोहस्ताक्षरी को, आयुष मंत्रालय में दिनांक 17.11.2021 को प्राप्त आर. के. शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, जनता-1 अनुभाग, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004 के पत्र दिनांक 14.10.2021 को अग्रेषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। (छायाप्रति संलग्न)

2. अतः उक्त पत्र को इस निवेदन के साथ आपको अग्रेषित किया जा रहा है कि उक्त मामले में जॉचोपरान्त यथोचित कार्यवाही करें तथा इस विषय में की गयी कार्यवाही की एक प्रति इस मंत्रालय को भी अवगत कराएं ।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीया,

Digitally Signed by Shiela
Tirkey
(गिला तिकी)
Date: 30-11-2021 15:39:27
अवर सचिव, भारत सरकार
Reason: Approved
दूरभाष : 011-24651976

प्रतिलिपि:

1. - वैद्य आकाश गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव एवं वैद्य पल्लव प्रजापाति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय छात्र कमेटी आयुर्वेद फेडरेशन ऑफ इंडिया, कार्य कार्यालय: E5, पहली मंजिल, लेन नंबर 1, वेस्टएंड मार्ग, साकेत के पास, सैदुलाजब, नई दिल्ली-110030- सूचनार्थ हेतु ।



मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
M.P. Medical Sciences University, Jabalpur

Address: Medical College Campus Bhedaghat Road, NH-12 Jabalpur (MP) 482003

Contact : 0761-2670332, 2670334, 2670338, 2670340

E-mail: academicmpmsu@jbp@gmail.com



क्र./अकादमिक /1955

जबलपुर, दिनांक 1/11/2021

To,

The Chairman
NCISM
New Delhi-

विषय :- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के BAMS, Schedule-2 में रजिस्टर्ड कराने बाबत।

संदर्भ:- CCIM/Ref.No.30-5/2016-MP(University) Dated 06/10/21

महोदय,

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में पूर्व में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक No./Academic/2020/1138 Jabalpur Dated 22/06/2020 एवं No./Academic/2020/2229 Jabalpur Dated 12/10/2020 के तहत पत्र प्रेषित किये थे। अतः मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा संचालित BAMS कोर्स के प्रथम Batch की Final Year की परीक्षाएँ क्रमशः माह जुलाई 2020 पूर्ण हो चुकी हैं एवं इंटर्नशिप सितम्बर 2021 में पूर्ण हो चुकी है। तथा BAMS 13/12/2021 में Award कर रहे हैं। अतः BAMS (UG Course) की Degree, Schedule-2 में रजिस्टर्ड करने का कष्ट करें। ताकि छात्र-छात्राओं का संबंधित Council में Registration हो सकें।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. प्रभात बुधोलिया)

कुलसचिव

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर।

जबलपुर दिनांक 1/11/2021

पृ. क्र./अकादमिक/1955-A

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय ई.पी. (आई.एम.-1) बी ब्लॉक जीपीओ काम्पलेक्स, आई.एम.ए. नई दिल्ली - 110023
- 2 कुलपति/कुलसचिव कार्यालय म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर।
- 3 म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



उप-कुलसचिव

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर।

भारत सरकार

Government of India

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय
Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)

"आयुषभवन" / "AYUSH BHAWAN"

"बी" ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, / 'B' Block, GPO Complex,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110 023, /INA, New Delhi-110 023

दिनांक/Dated: .10.2021

सेवा में,

अध्यक्ष,

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग,
इंस्टीट्यूशनल एरिया, विपरीत डी-ब्लॉक,
जनकपुरी- 110058, नई दिल्ली

विषय: आयुर्वेद के 2500 से अधिक स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों की उपाधियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्) की द्वितीय अनुसूची में शामिल न किये जाने के सम्बन्ध में हैं।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत अधोहस्ताक्षरी को, आयुष मंत्रालय में दिनांक 20.10.2021 को प्राप्त पत्र दिनांक 07.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) को अग्रेषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है।

- अतः उक्त पत्र को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ भेजा जा रहा है कि वे मामले की यथोचित कार्यवाही करें तथा इस विषय में की गयी कार्यवाही की एक प्रति इस मंत्रालय को भी उपलब्ध कर दें।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

संलग्नक: यथोपरि

Digitally Signed by Shiela

Turkey

Date: 26-10-2021 10:23:24

(गीला तिकी/ Shiela Turkey)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-24651976 / 80

प्रतिलिपि:

✓ वैद्य आकाश गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव एवं वैद्य पल्लव प्रजापाति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आयुर्वेद फेडरेशन ऑफ इंडिया, कार्य कार्यालय: E5, पहली मंजिल, लेन नंबर 1, वेस्टएंड मार्ग, साकेत के पास, सैदुलाजब, नई दिल्ली, दिल्ली-110030, ई-मेल: info@afi-india.in - सुचनार्थ हेतु।



"बहुनां चैव सत्त्वानां सन्ततयो विपुलजयः।"

Ayurveda Federation of India

A unit of "AYURVEDA VIGYAN FORUM" Sec. 8 Co. Registered with Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India
Working Office: E5, First Floor, Lane No.1, Westend Marg, Near Saket, Saidulajab, New Delhi, Delhi 110030

Regd. Office: 80, Sultanpuri, New Manglapuri, New Delhi - 110030

Website : www.afi-india.in Email : info@afi-india.in

Phones : 011-41354100, 8595336710

Central Student Committee

Founder
Dr. Abhishek Gupta

President
Vd. Pallav Kumar Prajapati

General Secretary
Vd. Akash Gupta

Central Student Committee

Senior Vice President:
Dr. Bhawana Bhatt
Vice President:
Dr. Harendra Singh Bhadouria
Secretary (North):
Dr. Kirti Malviya
Secretary (Nepal):
Dr. Vinay Kumar

International Core committee – AFI

President: Dr. Gaurang Joshi
General Secretary: Dr. Bharav Kulkarni

Central Council – AFI

President: Dr. Anuj Jain
General Secretary: Dr. Dhanvantri Tyagi

Women's Committee - AFI

President: Dr. Pushpa Yadav
Vice President: Dr. Pooja Kohli

Clinic and Hospital Committee – AFI

President: Dr. Sachin Aru
General Secretary: Dr. Animesh Mohan

NHM & Govt. Employee Committee – AFI

President: Dr. Kuldeep Raj
General Secretary: Dr. Ravindra Chauhan

Ayurvedic Surgeons Committee- AFI

President: Dr. Naveen Chauhan

Academic Committee – AFI

President: Dr. Sambhu P. Patel
General Secretary: Dr. Anees T

Swastha Sandesh Patrika

Chief Editor: Dr. Pavan Singh Shekawat
Associate Editor: Dr. Sujit Kumar

Journal of AFI

Chief Editor: Dr. Sanjay P. Chhajed
Editor: Dr. Bhairav Kulkarni

पत्रांक: AFI/GOV/222

दिनांक: 07/10/2021

सेवा में,

वैद्य जयंत देवपुजारी
अध्यक्ष
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग भारत

विषय: आयुर्वेद के 2500 से अधिक स्नातक विद्यार्थियों की उपाधियों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद्) की द्वितीय अनुसूची में शामिल न किये जाने के सम्बन्ध में!

आदरणीय महोदय,

वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के “मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी)” व प्रदेश के 20 आयुर्वेद महाविद्यालयों (कॉलेजों) के माध्यम से B.A.M.S. पाठ्यक्रम का शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है (कॉलेजों की सूची अनुलग्नक-1 में संलग्न है) लेकिन इन सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय व भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) जो पूर्व में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (CCIM) के नाम से जाना जाता था किन्तु कई वर्षों से संचालित करवाये जा रहे BAMS पाठ्यक्रम को NCISM /CCIM के आई.एम.सी.सी. एक्ट 1970 (IMCC Act 1970) की द्वितीय अनुसूची में अब तक शामिल ही नहीं करवाया जा सका है, इसके कारण इन सभी 20 महाविद्यालयों में अध्ययनरत व 5.5 वर्ष का पूरा अध्ययन कार्य करके उत्तीर्ण हो चुके विद्यार्थी जिन्हें अब तक चिकित्सक की उपाधि मिल जानी चाहिए थी, ऐसे लगभग 2500 से अधिक आयुर्वेद छात्रों का भविष्य अंधकार में है।

महोदय इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण अधिकांश विद्यार्थी मानसिक अवसाद व अत्यन्त तनाव से गुजर रहे हैं, उत्तीर्ण होकर निकल चुके छात्रों की स्थिति तो और भी अधिक चिंतनीय है क्योंकि उनके लिए स्नातक पाठ्यक्रम (BAMS) की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद न तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का विकल्प है और न ही स्टेट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा कर प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का विकल्प है और न ही अपने स्वयं के चिकित्सालय या अस्पताल खोलने का विकल्प है।

उक्त विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों को NCISM (CCIM) तथा छात्रों की ओर से अनेकों बार लिखित अनुरोध किया जा चुका है लेकिन विभिन्न कारणों से अब तक इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया गया है।

(2)

क्रमशः.....



Ayurveda Federation of India

A unit of "AYURVEDA VIGYAN FORUM" Sec. 8 Co. Registered with Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India
Working Office: E5, First Floor, Lane No.1, Westend Marg, Near Saket, Saidulajab, New Delhi, Delhi 110030

Regd. Office: 80, Sultanpuri, New Manglapuri, New Delhi - 110030

Website : www.afi-india.in Email : info@afi-india.in

Phones : 011-41354100, 8595336710

"बहुनां वैव साक्षात् सज्जगो विदुःश्रयः"

Central Student Committee

Founder
Dr. Abhishek Gupta

President
Vd. Pallav Kumar Prajapati

General Secretary
Vd. Akash Gupta

Central Student Committee

Senior Vice President:
Dr. Bhawana Bhatt
Vice President:
Dr. Harendra Singh Bhadouria
Secretary (North):
Dr. Kirti Malviya
Secretary (Nepal):
Dr. Vinay Kumar

International Core committee – AFI

President: Dr. Gaurang Joshi
General Secretary: Dr. Bharav Kulkarni

Central Council – AFI

President: Dr. Anuj Jain
General Secretary: Dr. Dhanvantri Tyagi

Women's Committee - AFI

President: Dr. Pushpa Yadav
Vice President: Dr. Pooja Kohli

Clinic and Hospital Committee – AFI

President: Dr. Sachin Aru
General Secretary: Dr. Animesh Mohan

NHM & Govt. Employee Committee - AFI

President: Dr. Kuldeep Raj
General Secretary: Dr. Ravindra Chauhan

Ayurvedic Surgeons Committee- AFI

President: Dr. Naveen Chauhan

Academic Committee – AFI

President: Dr. Sambhu P. Patel
General Secretary: Dr. Anees T

Swastha Sandesh Patrika

Chief Editor: Dr. Pavan Singh Shekawat
Associate Editor: Dr. Sujit Kumar

Journal of AFI

Chief Editor: Dr. Sanjay P. Chhajed
Editor: Dr. Bhairav Kulkarni

उक्त विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों को NCISM (CCIM) तथा छात्रों की ओर से अनेकों बार लिखित अनुरोध किया जा चुका है लेकिन विभिन्न कारणों से अब तक इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया गया है।

आदरणीय महोदय से अनुरोध है कि इस विषय पर विभाग के सम्बन्धित व्यक्तियों को त्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देश करें जिससे इस अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण विषय पर प्रदेश के हजारों भविष्य के आयुर्वेद चिकित्सकों व इनसे जुड़े परिवारों के लाखों लोगों को स्थाई व त्वरित निराकरण मिलेगा और शीघ्रता से इसका समाधान हो पायेगा! आशा है कि आपके सहयोग व समर्थन से कार्य हल होने के पश्चात समस्त प्रभावित विद्यार्थी मानसिक अवसाद से मुक्त होकर बेहतर चिकित्सक बनकर समाज में अपना योगदान दे सकेंगे! कई बच्चों के परिवारों ने शिक्षा का लोन लिया हुआ है तो कई लोगों ने अन्य स्रोतों से कर्ज लेकर अपने बच्चों को आयुर्वेद का चिकित्सक बनवाने के लिए यह सपना देखा है कि उनके बच्चे अध्ययन पूरा करने के बाद उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे लेकिन एक छोटी सी विभागीय लापरवाही के कारण न सिर्फ हजारों लोगों के सपने धूमिल हो रहे हैं अपितु समाज में हजारों चिकित्सक अपने योगदान देने से वंचित हैं।

प्रदेश के समस्त कॉलेजों के विद्यार्थियों व आयुर्वेद चिकित्सकों के राष्ट्रीय संगठन आयुर्वेद फेडरेशन ऑफ़ इंडिया की ओर से आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया के इंतजार में!

(सम्बन्धित कॉलेजों के विभिन्न विद्यार्थियों के नाम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के नाम व ईमेल सहित जानकारी अनुलग्नक-2 में संलग्न है।)

Pallav Kumar
वैद्य. पल्लव प्रजापति
राष्ट्रीय अध्यक्ष
केंद्रीय छात्र कमेटी
आयुर्वेद फेडरेशन ऑफ़ इंडिया

भवदीय!

Akash Gupta
वैद्य. आकाश गुप्ता
राष्ट्रीय महासचिव
केंद्रीय छात्र कमेटी
आयुर्वेद फेडरेशन ऑफ़ इंडिया

प्रतिलिपि सूचनार्थ

01. श्री राम नाथ कोविंद - महामहिम राष्ट्रपति भारत
02. श्री नरेंद्र मोदी - माननीय प्रधानमंत्री भारत
03. श्रीमती आनंदीबेन पटेल - महामहिम राज्यपाल
04. श्री योगी आदित्यनाथ - मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
05. सर्बानंद सोनोवाल - माननीय आयुष मंत्री भारत
06. डॉ. धर्म सिंह सैनी - माननीय आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश
07. महानिदेशक चिकित्सा एवं सेवाएं उत्तर प्रदेश
08. वैद्य राजेश कोटेचा - सचिव आयुष मंत्रालय
09. समस्त विश्वविद्यालय के कुलपति
10. समस्त सम्बन्धित आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य